न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 2/21 GCMS NO 2021/2

रामप्रसाद पुत्र मिश्रया जाति मीना निवासी ग्राम फुलवाडा तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. महादेवा पुत्र रामा जाति मीना वासी फुलवाडा तहसील वजीरपुर
2. कैलाशी पत्नि महादेवा जाति मीना निवासी फुलवाडा तहसील वजीरपुर
3. रामनिवास पुत्र मिश्रया जाति मीना निवासी फुलवाडा तहसील वजीरपुर
4. मगन पुत्र मिश्रया जाति मीना निवासी फुलवाडा तहसील वजीरपुर
5. सियाराम पुत्र रामप्रसाद जाति मीना निवासी फुलवाडा तहसील वजीरपुर
6. भजनवाई पत्नि हरिनारायण जाति मीना निवासी ग्राम फुलवाडा तहसील वजीरपुर
7. महेश पुत्र रामा जाति मीना निवासी ग्राम फुलवाडा तहसील वजीरपुर
8. सजनी पत्नि रामा जाति मीना निवासी ग्राम फुलवाडा तहसील वजीरपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 62/16 निर्णय डिकी दिनांक 8.3.17 न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री तरूण शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री मोहम्मद इस्लाम

दिनांक 28.8.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 8.3.17 न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने दावा बाबत [illegible] आज्ञा इस आशय का पेश किया कि भूमि हाल ख0न0 1061 रकबा 0.62 है0, 1058 रकबा 0.37 है0 , 1059 रकबा 0.91 है0, 1060 रकबा 0.11 है0 स्थित ग्राम फुलवाडा है। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी न0 5 ता 7 अपने हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 की सहखातेदारी की भूमि से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई संबंध वास्ता नही है। लेकिन प्रतिवादी न0 1 ता 4 जबरन वादी की भूमि पर कब्जा करना चाहते है। जबकि उनका वादीगण की भूमि से किसी प्रकार का कोई लेना देना नही है। दिनांक 3.8.16 को वादीगण अपनी भूमि की देखभाल कर रहे थे तो प्रतिवादीगण लाठी लडडे लेकर आ गये तथा वादीगण को मारने पीटन पर आमादा हो गये तथा धमकी दी गई कि वे उन्हे भूमि से लाभान्वित नही होने देगे। इस कारण दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण संख्या [illegible] फरमाया जावे कि वादीगण की सहखातेदारी की भूमि ख0न0 1061 रकबा 0.62 है0, 1058 रकबा 0.37 है0 , 1059 रकबा 0.91 है0, 1060 रकबा 0.11 है0 स्थित ग्राम [illegible] उपयोग उपभोग मे बाधा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उत्पन्न नही करे। इस प्रकार की इस्त[illegible] अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील उभयपक्ष की सहमति के आधार पर वादीगण का वाद पत्र डिक्री किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय मिसल [illegible] तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपीलांट के विरूद्व स्थांई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया जिसमे यह कहा कि आपकी उपस्थिति के हस्ताक्षर कर दो इस पर अपीलांट व दावे मे संयोजित अन्य प्रतिवादीगण ने हस्ताक्षर कर दिये । अपीलांट को यह पता नही चला कि किस बात के हस्ताक्षर करवाये गये है । अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी इजराय के नोटिस से हुई। वादग्रस्त भूमि से सटवा अपीलांट की खातेदारी की भूमि है जिसमे अपीलांट अलोटमेंट के समय से कब्जा जिस तरह दिया उसी अनुसार काबिज है तथा जबकि रेस्पो0 का स्वयं की भूमि पर कब्जा नही है। वादीगण ने साजिशी तौर पर दावा प्रस्तुत कर कब्जे के अभाव मे उक्त दावे को अपीलांट को भुलावे मे रखकर डिक्री करवा लिया जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना रिपोर्ट मंगवाये कि वादी का भूमि पर कब्जा है या [illegible] गलत रूप से डिक्री करने मे विधिक भूल की है। जो निरस्त योग्य है। वादीगण मुकदमे बाज व्यक्ति है जो आये दिन अपीलांट व अन्य लोगो पर मुकदमे बाजी करता रहता है तथा उसने अपीलांट को बेदखल करने हेतु इजराय प्रस्तुत की जिससे स्पष्ट है कि उसका भूमि पर कब्जा नही है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने गलत तरीके से अपीलांट को भुलावे मे डालकर उक्त आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 ने पत्थरगढी की दरख्वास्त प्रस्तुत की है जिससे स्पष्ट है कि उसे अपनी भूमि का पता नही है तथा ना ही उसका कब्जा है। किन्तु वह निर्णय दिनांक 8.3.17 की आड मे अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा है इस कारण उक्त आदेश निरस्त योग्य है। रेस्पो0 द्वारा अपीलांट के विरूद्व एक झूठा फौजदारी मुकदमा प्रस्तुत किया जिसमे अपीलांट को बरी किया गया जिससे स्पष्ट है कि रेस्पो0 का भूमि पर कभी कब्जा नही रहा तथा उसने कोर्ट मे गलत तथ्य रखकर कब्जे के अभाव मे दावा डिक्री करवा लिया तथा उक्त आदेश से अपीलांट को उनके कब्जा शुदा भूमि से बेदखल करना चाहते है इस कारण उक्त आदेश निरस्त योग्य है। वाद प्रस्तुत करने की दिनांक को रेस्पो0 का भूमि पर कब्जा नही था इस कारण उसे बेदखली का दावा प्रस्तुत करना चाहिए था किन्तु उसने जालसाजी पूर्वक उक्त आदेश अपने पक्ष मे करवा लिया है तथा उसी की आड मे अपीलांट को बेदखल करना चाहता है। इस कारण उक्त आदेश निरस्त योग्य है। अपीलांट व [illegible] की काफी मोटी डौल बनी हुई है तथा उसी अनुसार दोनो अलोटमेंट के समय [illegible] है किन्तु रेस्पो0 अपीलांट को उक्त आदेश की आड मे उ[illegible] आमादा है। रेस्पो0 ने अपीलांट को उक्त आदेश की आड मे अपीलांट को उसकी कब्जाशुदा भूमि से बेदखल कर दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

तो अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति द्रव्य मे संभव नही है। अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुना नही गया है। यदि अपीलांट को पूरी सत्यता का पता होता तो अपीलांट वादी से उसके दस्तावेजो से जिरह करता व मौका रिपोर्ट मंगवाता जिससे प्रकरण की सही सच्चाई न्यायालय के समक्ष आती किन्तु अपीलांट को मुगालते मे रखकर उसके सीधेपन का फायदा उठाकर उक्त आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट 65 वर्षिय पेशन भोगी कर्मचारी है रेस्पो0 उक्त आदेश की आड मे आये दिन झूठी कार्यवाही कर बेदखल करने पर आमादा है तथा इसी तरह अधिनस्थ न्यायालय से इजराय मे आदेश करवा लिये है तथा तहसीलदार के जरिये अपीलांट को भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। अपीलांट काफी परेशान है, अपीलांट को उसके अधिवक्ता ने सलाह दी कि अपील करनी होगी जिस पर अपीलांट ने नकल हेतु आवेदन किया तथा नकल लेने पर समस्त प्रकरण की जानकारी हुई। इस कारण जानकारी के आधार पर अपील अन्दर मियाद धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट का यह कथन झूठा है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने ही निर्णय व डिक्री पारित की है। जबकि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट वकालतन उपस्थित हुए है। तथा उनके अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर इस प्रकार की सहमति दी गई थी कि उनके पक्षकार एक दुसरे की भूमि मे नही घुसेगे न ही एक दूसरे के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न करेगे । इस प्रकार की सहमति अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा दिये जाने पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र विधि के सिद्वान्तो के अनुरूप ही डिक्री किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सहमति के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री के उपरान्त भी अपीलांट व दावे के प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 द्वारा भूमि मे मजाहमत किये जाने के कारण रेस्पो0/प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे इजराय पेश की गई थी जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद विवेचन एवं विश्लेषण अपीलांट व अन्य प्रतिवादीगण 2 ता 4 को एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। इस प्रकार अपीलांट को न्यायालय के निर्णयो की कोई परवाह नही की जाती है। अधिनरथ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर तथा उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा अपनी सहमति दिये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। चूकि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री आपसी सहमति के आधार पर पारित की गई है। काननून आपसी सहमति के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री की अपील चलने योग्य ही नही है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिस[illegible] कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री उभयपक्ष अधिवक्तागण की आप[illegible] के आधार पर पारित की गई है। जिसमे उभयपक्ष द्वारा अपनी सहमति [illegible] उनके पक्षकार एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

दुसरे की भूमि मे नही घुसेगे न ही एक दूसरे के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न करेगे। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन साबित नही है कि अपीलाधीन निर्णय व डिकी जानकारी अपीलांट को नही थी। पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 मे आराजी ख0न0 1058,1059,1060 व 1061 वाके ग्राम फुलवाडा की खातेदारी प्रत्यर्थीगण/रेस्पो0महादेवा पिता रामा, कैलाशी पत्नि महादेवा ,महेश पुत्र रामा, सजनी पत्नि महेश कोम मीना सा.देह दर्ज रिकार्ड है। इसी अनुसार जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 मे आराजी ख0न0 1057/2371, 41058/2370, 1061/2360 वाके ग्राम फुलवाडा की खातेदारी रामप्रसाद पुत्र मिसरया , नाराणी पत्नि मिसरया जाति मीना सा.देह दर्ज रिकार्ड है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि ख0न0 1061 रकबा 0.62 है0, 1058 रकबा 0.37 है0, 1059 रकबा 0.91 है0, 1060 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम फुलवाडा के बाबत प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है तथा इसी अनुसार आराजी ख0न0 1057/2341 रकबा 0.09 है0, 1058/2370 रकबा 0.25 है0, 1061/2369 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम फुलवाडा हेतु वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष अधिवक्तागण की आपसी सहमति के आधार पर एक दुसरे की भूमि के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नही करने हेतु एक दूसरे को स्थाई निषेधाज्ञा से विधिक रूप से पाबन्द किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के मुकदमा न0 62/16 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 8.3.17 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.8.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner